


दिल्ली राजपत्र



Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22]
No. 22]

दिल्ली, जून 3—जून 9, 2011, बुधवार/ज्येष्ठ 13—ज्येष्ठ 19, 1933
DELHI, JUNE 3—JUNE 9, 2011, THURSDAY/JYAISTHA 13— JYAISTHA 19, 1933

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 58, 61]
[N.C.T.D. No. 58, 61]

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 1 जून, 2011

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE

AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 1st June, 2011

सं. फा.10 (1830)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./12884.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री खिमजी रामदास इण्डिया प्रा. लि., एस-45, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110 020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,05,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49,50,001 से 79,75,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 60,500 (रुपये साठ हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1830)/COS(HQ)/Cons.Duty/12884.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Khimji Ramdas India Pvt.Ltd., S-45, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 60,500 (Rs. Sixty Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 6,05,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 49,50,001 to 79,75,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 2 जून, 2011

सं. फा.10 (1883)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./12999.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइएनजी रिन्यूएबल्स प्रा. लि., सी-205, तीसरी मंजिल, होली चाइल्ड स्कूल के पास, टैगोर गार्डन, एक्सटेन्शन, नई दिल्ली-110 027, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,300 से 11,049 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 15,000 (रुपये पन्द्रह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 2nd June, 2011

F. No. 10(1883)/COS(HQ)/Cons.Duty/12999.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IEnergy Renewables Pvt.Ltd., C-205, III Floor, Near Holy Child School, Tagore Garden Extension, New Delhi-110 027, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 15,000 (Rs. Fifteen Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,50,00,000 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. 10,300 to 11,049 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1889)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13000.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विन्कूलॉम सोल्युशन्स प्रा. लि., लेवल-2, ऐलिंगेन्स, मथुरा रोड, जसोला, नई दिल्ली-110 025, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,24,08,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 31,580 से 55,579 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 42,408 (रुपये बेयालिस हजार चार सौ आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1889)/COS(HQ)/Cons.Duty/13000.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vinculum Solutions Pvt. Ltd., Level-2, Elegance, Mathura Road, Jasola, New Delhi-110 025, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 42,408 (Rs. Forty Two Thousand Four Hundred Eight) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,24,08,000

for issue of preference shares bearing distinctive Nos. 31,580 to 55,579 to be issued by the said company.

दिल्ली, 3 जून, 2011

सं. फा.10 (1860)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13013.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टीबीईए एनजी (इण्डिया) प्रा. लि., एक्स-17, हौज खास, नई दिल्ली-110 016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 43,95,340 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 4,49,534 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,396 (रुपये चार हजार तीन सौ छियावनवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 3rd June, 2011

F. No. 10(1860)/COS(HQ)/Cons.Duty/13013.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. TBEA Energy (India) Pvt.Ltd., X-17, Hauz Khas, New Delhi-110 016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 4,396 (Rs. Four Thousand Three Hundred Ninety Six) only on the aggregate value of shares of ₹ 43,95,340 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. 10,001 to 4,49,534 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1788)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13014.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डिजिटल मैनेजमेंट सर्विसिज प्रा. लि., 15-एफ, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,13,100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या E 0001 से E 91,310 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 914 (रुपये नौ सौ चौदह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1788)/COS(HQ)/Cons.Duty/13014.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Digital Management Services Pvt.Ltd., 15-F, East Punjabi Bagh, New Delhi-110 026, shall pay a consolidated stamp duty of

₹. 914 (Rs. Nine Hundred Fourteen) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,13,100 for Equity Shares certificates with distinctive Nos. E 0001 to E 91,310 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1781)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13018.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पेडर्सन कन्सल्टेंट्स इण्डिया प्रा. लि., एन-26, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 900 (रुपये नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1781)/COS(HQ)/Cons.Duty/13018.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pedersen Consultants India Pvt.Ltd., N-26, Panchseel Park, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 900 (Rs. Nine Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1778)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13019.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., डी-2, पहली मंजिल, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,93,26,430 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,30,57,358 से 2,59,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 29,327 (रुपये उन्नीस हजार तीन सौ सत्ताईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1778)/COS(HQ)/Cons.Duty/13019.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tarini Infrastructure Ltd., D-2, 1st Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of ₹. 29,327 (Rs. Twenty Nine Thousand Three Hundred Twenty Seven) only on the aggregate value of

shares of ₹ 2,93,26,430 for equity share certificates with distinctive Nos. 2,30,57,358 to 2,59,90,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1783)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13020.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी. आर. पैकेजिंग्स लि., 4530/ए, 7/26, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों एवं प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या इक्विटी शेयरों के लिए 24,53,429 से 24,63,428 है, और प्रिफरेंस शेयरों के लिए 10,00,001 से 15,95,800 पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 60,000 (रुपये साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1783)/COS(HQ)/Cons.Duty/13020.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. P.R. Packagings Ltd., 4530/A, 7/26, Ansari Road, Daryaganj, Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 60,000 (Rs. Sixty Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹. 6,00,00,000 for equity & preference Share certificates with distinctive Nos. for equity shares are 24,53,429 to 24,63,428 and for preference shares are 10,00,001 to 15,95,800 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1777)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13024.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनडीडीबी डेयरी सर्विसिज, एनडीडीबी हाउस, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,00,001 से 20,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,00,000 (रुपये दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1777)/COS(HQ)/Cons.Duty/13024.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NDDB Dairy Services, NDBB House, Safdarjang

Enclave, New Delhi-110029, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,00,000 (Rs. Ten Lakh only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,00,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,00,00,001 to 20,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1772)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13026.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इण्डिया प्रा. लि., यूनिट नं.103ए, राइट विंग, तीसरी मंजिल, द कैपिटल कोर्ट, प्लॉट नं. एम एस 1, एलएससी मुनिरका फेज-III, नई दिल्ली-110067 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 30,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26,50,00,001 से 29,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,00,000 (रुपये तीन लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1772)/COS(HQ)/Cons.Duty/13026.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rio Tinto Exploration India Pvt. Ltd., Unit No. 103A, Right Wing, 3rd Floor, The Capital Court, Plot No. MS 1 at LSC Munirka Phase-III, New Delhi-110067, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,00,000 (Rs. Three Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹. 30,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 26,50,00,001 to 29,50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1281)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13029.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इपको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि., इपको सदन, सी-1, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 40,00,000 (रुपये चालीस लाख) जो कि उनके द्वारा 01 अप्रैल, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पॉलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

F. No. 10(1281)/COS(HQ)/Cons.Duty/13029.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of

sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFFCO-TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD., IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 40,00,000 (Rs. Forty Lac only) in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period April, 2011 to September, 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा.10 (1870)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13035.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रीजेन्ट लाइटिंग एशिया प्रा. लि., 205, जैन भवन, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,08,04,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 23,19,302 से 43,99,781 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,805 (रुपये बीस हजार आठ सौ पाँच) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1870)/COS(HQ)/Cons.Duty/13035.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Regent Lighting Asia Pvt. Ltd., 205, Jain Bhawan, 18/12, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,805 (Rs. Twenty Thousand Eight Hundred Five only) on the aggregate value of shares of ₹. 2,08,04,800 for issue of equity shares bearing distinctive No. 23,19,302 to 43,99,781 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1869)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13036.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दीपांशु सिव्यूरिटीज प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,29,29,700 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,84,301 से 10,00,000

है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,930 (रुपये बारह हजार नौ सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1869)/COS(HQ)/Cons.Duty/13036.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Deepanshu Securities Pvt. Ltd., A-10, Green park Extension, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,930 (Rs. Twelve Thousand Nine Hundred Thirty only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,29,29,700 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 3,84,301 to 10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1804)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13041.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनटीटी कम्युनिकेशन इण्डिया नेटवर्क्स प्रा. लि., दसवीं मंजिल, टॉल्सटाय हाऊस, 15-17, टॉल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,99,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 99,900 (रुपये नित्यानवे हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1804)/COS(HQ)/Cons.Duty/13041.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NTT Communications India Networks Pvt. Ltd., 10th Floor, Tolstoy House, 15-17, Tolstoy Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 99,900 (Rs. Ninety Nine Thousand Nine Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹. 9,99,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 6 जून, 2011

सं. फा.10 (1898)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13140.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फाडिया इण्डिया प्रा. लि., यूनिट नं. 7, 10, & 11,

2156 DG/11-2

भू-तल, स्प्लेन्डर फॉर्म, प्लॉट नं. 3, जसोला डिस्ट्रीक सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110028; द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,82,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 4,75,920 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 58,240 (रुपये अठ्ठावन हजार दो सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

New Delhi, the 6th June, 2011

F. No. 10(1898)/COS(HQ)/Cons.Duty/13140.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Phadia India Pvt. Ltd., Unit No. 7, 10 & 11, Ground Floor Splendor Forum, Plot No. 3, Jasola District, Centre Jasola, New Delhi-110025, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 58,240 (Rs. Fifty Eight Thousand two hundred forty only) on the aggregate value of shares of ₹ 5,82,40,000 for equity shares bearing distinctive No. 10,001 to 4,75,920 and to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1897)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13141.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फाडिया इण्डिया प्रा. लि., यूनिट नं. 7, 10, & 11, भू-तल, स्प्लेन्डर फॉर्म, प्लॉट नं. 3, जसोला डिस्ट्रीक सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली-110028, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1000 (रुपये एक हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1897)/COS(HQ)/Cons.Duty/13141.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Phadia India Pvt. Ltd., Unit No. 7, 10 & 11, Ground Floor Splendor Forum, Plot No. 3, Jasola District, Centre Jasola, New Delhi-110025, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1000 (Rs. One Thousand only) on the aggregate value of shares of ₹. 10,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1 to 10,000 and to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1896)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13142.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लिप्ने एण्ड लिण्डे इण्डिया प्रा. लि., एस-327, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,01,64,960 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 1,66,384 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,165 (रुपये दस हजार एक सौ पैंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1896)/COS(HQ)/Cons.Duty/13142.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Leine & Linde India Pvt. Ltd., S-327, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,165 (Rs. Ten Thousand One Hundred Sixty Five only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,01,64,960 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10,001 to 1,66,384 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1899)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13143.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री लिप्ने एण्ड लिण्डे इण्डिया प्रा. लि., एस-327, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1899)/COS(HQ)/Cons.Duty/13143.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Leine & Linde India Pvt. Ltd., S-327, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 001 to 10,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1759)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13144.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीटीसी इण्डिया लि., दूसरी मॉजल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,08,86,290 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 29,46,25,109 से 29,49,73,571 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,887 (रुपये दस हजार आठ सौ सत्तासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1759)/COS(HQ)/Cons.Duty/13144.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PTC India Limited, 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,887 (Rs. Ten Thousand Eight Hundred Eighty Seven only) on the aggregate value of shares of ₹. 1,08,86,290 for equity shares certificates with distinctive Nos. 29,46,25,109 to 29,49,73,571 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1760)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13145.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री निप्रो इण्डिया कॉर्पोरेशन प्रा. लि., डी-28, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110049, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,72,50,001 से 4,47,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1760)/COS(HQ)/Cons.Duty/13145.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Nipro India Corporation Pvt. Ltd., D-28, South Extension, Part-I, New Delhi-110049, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 15,00,000 (Rs. Fifteen Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,50,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 3,72,50,001 to 4,47,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1873)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13148.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जय पॉलीकेम इण्डिया लि., ए-101, लाजपत नगर-I, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 54,31,381 से 64,31,380 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,00,000 (रुपये पाँच लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1873)/COS(HQ)/Cons.Duty/13148.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jay Polychem India Ltd., A-101, Lajpat Nagar-I, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,00,000 (Rs. Five Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 50,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 54,31,381 to 64,31,380 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1779)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13151.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिन्थेस मेडिकल प्रा. लि., C/o ज्यूरिस कंसल्ट्स, 207, ऐसेल हाउस, 10 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 23,24,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15,201 से 1,31,425 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,32,450 (रुपये दो लाख बत्तीस हजार चार सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1779)/COS(HQ)/Cons. Duty/13151.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Synthes Medical Pvt. Ltd., C/o Juris Consultus, 207, Essel House, 10 Asaf Ali Road, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,32,450/- (Rupees Two Lakh Thirty Two Thousand Four Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 23,24,50,000 for equity share certificates with distinctive No. 15,201 to 1,31,425 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1733)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13152.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इम्पेरेटिव होस्पिटैलिटी प्रा. लि., 90, बंगला साहेब रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 58,25,24,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000,10,001 से 01,98,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,82,524 (रुपये पाँच लाख बेयासी हजार पाँच सौ चौबिस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1733)/COS(HQ)/Cons. Duty/13152.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Imperative Hospitality Private Limited, 90, Bangla Sahib Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,82,524 (Rs. Five Lac Eighty Two Thousand Five Hundred Twenty Four) only on the aggregate value of shares of ₹ 58,25,24,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 0000,10,001 to 01,98,90,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1768)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13153.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इम्पेरियम होटल्स प्रा. लि., 4, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,70,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00,00,10,001 से 01,07,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,07,000 (रुपये एक लाख सात हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1768)/COS(HQ)/Cons. Duty/13153.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Imperium Hotels Pvt. Ltd, 4, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,07,000 (Rupees One Lakh Seven Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 10,70,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00,00,10,001 to 01,07,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1782)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13154.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बनारस हाउस इन्जीनियरिंग प्रा. लि., फ्लैट नं. 1114, ग्यारहवीं मंजिल, नई दिल्ली हाउस 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,41,50,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 03,92,90,001 से 04,37,05,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 44,150 (रुपये चत्वारिस हजार एक सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1782)/COS(HQ)/Cons. Duty/13154.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Banaras House Engineering Pvt. Ltd., Flat No. 1114, 11th Floor, New Delhi House 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 44,150 (Rupees Forty Four Thousand One Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,41,50,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 03,92,90,001 to 04,37,05,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1893)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13160.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ऑप्टिमा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., जी-19, तिवारी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, लक्ष्मी नगर (वालिया नर्सिंग होम के पीछे), दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 5,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,000 (रुपये पाँच हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1893)/COS(HQ)/Cons. Duty/13160.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Optima Infrastructure Pvt. Ltd., G-19, Tiwari Complex, Second Floor, Laxmi Nagar (Behind Walia Nursing Home),

Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,000 (Rupees five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 50,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10,001 to 5,10,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 7 जून, 2011

सं. फा. 10 (1831)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13179.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गौरसन्स इण्डिया लि., 305, अरूणाचल भवन, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 11,19,99,800 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,36,81,501 से 1,46,99,689 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,12,000 (रुपये एक लाख बारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 7th June, 2011

F. No. 10 (1831)/COS(HQ)/Cons. Duty/13179.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gaursons India Ltd., 305, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,12,000 (Rupees One Lakh Twelve Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 11,19,99,800 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,36,81,501 to 1,46,99,680 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1754)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13180.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोर्डस्ट्रेप इण्डिया प्रा. लि., बी-41, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 12,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,000 (रुपये बारह हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1754)/COS(HQ)/Cons. Duty/13180.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cordstrap India Pvt. Ltd., B-41, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,000 (Rupees Twelve Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,20,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 12,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1890)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13181.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईएन रिन्यूएबल एनर्जी लि., 50ई, पहली मंजिल, हौज खास गाँव, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 25,26,08,097 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6,72,20,686 से 7,92,49,642 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,52,609 (रुपये दो लाख बावन हजार छः सौ नौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1890)/COS(HQ)/Cons. Duty/13181.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EN Renewable Energy Ltd., 50E, First Floor, Hauz Khas Village, New Delhi-110 016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,52,609 (Rupees two lakh fifty two thousand six hundred nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 25,26,08,097 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 6,72,20,686 to 7,92,49,642 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1866)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13188.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ड्यूक इण्डिया रिसर्च इन्स्टिट्यूट प्रा. लि., 104, अशोका इस्टेट, बाराखम्मा रोड, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,01,80,018 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 20,001 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 90,181 (रुपये नब्बे हजार एक सौ इक्क्यासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

2156 AG/11-3

F. No. 10(1866)/COS(HQ)/Cons. Duty/13188.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Duke India Research Institute Pvt. Ltd., 104, Ashoka Estate, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 90,181 (Rupees Ninety Thousand One Hundred Eighty One) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,01,80,018 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10,001 to 20,001 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1910)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13189.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री माइंड एवेन्यूज मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि., सी-755, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110 065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1910)/COS(HQ)/Cons. Duty/13189.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mind Avenues Management Services Pvt. Ltd., C-755, New Friends Colony, New Delhi-110 065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 001 to 10,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1841)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13190.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,96,00,000 मूल्य के बोण्ड्स जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2,01,10,06,604 से 2,01,10,07,899 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,29,600 (रुपये एक लाख उन्तीस

हजार छः सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1841)/COS(HQ)/Cons. Duty/13190.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,29,600 (Rupees One Lac Twenty Nine Thousand Six Hundred) only on the aggregate value of bonds of ₹ 12,96,00,000 for issue of bonds in the nature of promissory note bearing distinctive No. 2,01,10,06,604 to 2,01,10,07,899 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1864)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13200.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीएमई पावर सोल्यूशन्स (इण्डिया) लि., 26/36, भू-तल, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 34,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,42,09,677 से 3,42,69,676 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,450 (रुपये तीन हजार चार सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1864)/COS(HQ)/Cons. Duty/13200.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PME Power Solutions (India) Ltd., 26/36, Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,450 (Rupees Three Thousand Four Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 34,50,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 3,42,09,677 to 3,42,69,676 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1880)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13205.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नोबले रीसोर्स एण्ड ट्रेडिंग इण्डिया प्रा. लि., एनबीसीसी

प्लाजा, पाँचवीं मंजिल, टावर नं.-4, सेक्टर-5, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,34,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 66,11,873 से 2,00,11,872 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 13,40,000 (रुपये तेरह लाख चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1880)/COS(HQ)/Cons. Duty/13205.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Noble Resources and Trading India Pvt. Ltd., NBCC Plaza, 5th Floor, Tower No. 4, Sector-5, Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 13,40,000 (Rupees thirteen lakh forty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,34,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 66,11,873 to 2,00,11,872 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 जून, 2011

सं. फा. 10 (1784)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13212.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टुडे होटल्स (नई दिल्ली) प्रा. लि., सोलहवीं मंजिल, स्टेट्स मैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 28,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,27,57,101 से 1,30,37,100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,80,000 (रुपये दो लाख अस्सी हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th June, 2011

F. No. 10(1784)/COS(HQ)/Cons. Duty/13212.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Hotels (New Delhi) Pvt. Ltd., 16th Floor, States Man House, Barakhamba Road, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,80,000 (Rupees Two Lakh Eighty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 28,00,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1,27,57,101 to 1,30,37,100 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1555)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13213.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टुडे होटल्स (नई दिल्ली) प्रा. लि., सोलहवीं मंजिल, स्टेड्स मैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 39,00,89,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,21,99,831 से 1,27,57,100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,90,089 (रुपये तीन लाख नब्बे हजार नव्वासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1555)/COS(HQ)/Cons. Duty/13213.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Hotels (New Delhi) Pvt. Ltd., 16th Floor, States Man House, Barakhamba Road, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,90,089 (Rupees three lakh ninety thousand eighty nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 39,00,89,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1,21,99,831 to 1,27,57,100 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1867)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13214.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बोरजेज इण्डिया प्रा. लि., ए-10, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,20,68,100 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15,00,001 से 27,06,810 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,069 (रुपये बारह हजार उन्नहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1867)/COS(HQ)/Cons. Duty/13214.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Borges India Pvt. Ltd., A-10, Green Park, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,069 (Rupees Twelve Thousand Sixty Nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,20,68,100 for issue of equity shares bearing distinctive No. 15,00,001 to 27,06,810 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1785)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13215.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीएचवी इण्डिया प्रा. लि., बी-1/1-1, पहली मंजिल, मोहन कॉर्पोरेटिव इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,00,001 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,085 से 2,291 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,001 (रुपये बीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1785)/COS(HQ)/Cons. Duty/13215.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DHV India Pvt. Ltd., B-1/1-1, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,001 (Rupees Twenty Thousand One) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,00,001 for equity shares certificates with distinctive Nos. 2,085 to 2,291 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1903)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13216.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दास पॉलीमर्स प्रा. लि., एफ-2/5, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 15,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,001 से 1,15,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,500 (रुपये एक हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1903)/COS(HQ)/Cons. Duty/13216.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Dass Polymers Pvt. Ltd., F-2/5, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,500 (Rupees one thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 15,00,000 for issue of

equity shares bearing distinctive No. 1,00,001 to 1,15,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1913)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./13217.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि., उर्जानिधी, 1, बाराखम्मा लेन, कनाॅट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,00,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन-कनवर्टीबल, नन-कम्यूलेटिव, टेक्सैबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर सिरीज 73 के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00010000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1913)/COS(HQ)/Cons. Duty/13217.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Ltd., Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,00,000 (Rupees twenty five lakh) only on the aggregate value of ₹ 10,00,00,00,000 for issue of Unsecured, Redemable, Non-Convertible, Non-cumulative, Taxable bonds in the nature of Debentures Series 73 bearing distinctive No. 00000001 to 00010000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1905)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./13218.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि., पहली मंजिल, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 30,59,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 0,00,00,50,001 से 0,03,06,40,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,05,900 (रुपये तीन लाख पाँच हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1905)/COS(HQ)/Cons. Duty/13218.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E),

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power System Operation Corporation Ltd., 1st Floor, B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,05,900 (Rupees three lakh five thousand nine hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 30,59,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 0,00,00,50,001 to 0,03,06,40,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1906)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./13219.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री संतोष ओवरसीज लि., जी-321, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,32,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 1,06,80,001 से 1,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 43,200 (रुपये तैंतालीस हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1906)/COS(HQ)/Cons. Duty/13219.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Santosh Overseas Ltd., G-321, Chirag Delhi, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 43,200 (Rupees forty three thousand two hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,32,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1,06,80,001 to 1,50,00,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1901)/मु.स. (मुख्या.)/स.श./13220.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंगाल एक्सप्लोरेशन (इण्डिया) प्रा. लि., C/o विजय के गोयल एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, भू-तल, डी-94, पांडव नगर, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 22,29,350 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 2,82,568 से 5,05,502 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,230 (रुपये दो हजार दो सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1901)/COS(HQ)/Cons. Duty/13220.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bengal Exploration (India) Pvt. Ltd., C/o Vijay K Goel & Co. Chartered Accountants, Ground Floor, D-94, Pandav Nagar, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,230 (Rupees two thousand two hundred thirty) only on the aggregate value of shares of ₹ 22,29,350 for issue of equity shares bearing distinctive No. 2,82,568 to 5,05,502 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1902)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13221.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आशु सिक्यूरिटीज प्रा. लि., ए-163, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,21,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,85,001 से 24,95,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,100 (रुपये बारह हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1902)/COS(HQ)/Cons. Duty/13221.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ashu Securities Pvt. Ltd., A-163, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi-110087 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 12,100 (Rupees twelve thousand one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,21,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 12,85,001 to 24,95,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1907)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13222.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मर्सर कन्सल्टिंग (इण्डिया) प्रा. लि., 70/39बी, दूसरी मंजिल, केएलजे कम्प्लेक्स, मोती नगर पुलिस स्टेशन के सामने, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 20,77,18,317 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,83,821 से 41,28,001 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,07,719 (रुपये दो लाख सात हजार सात सौ उन्नीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

2156 DG/11-4

F. No. 10(1907)/COS(HQ)/Cons. Duty/13222.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mercer Consulting (India) Pvt. Ltd., 70/39B, 2nd Floor, KLJ Complex, Opp. Motinagar Police Station, Najafgarh Road, New Delhi-110015 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,07,719 (Rupees two lakh seven thousand seven hundred nineteen) only on the aggregate value of shares of ₹ 20,77,18,317 for issue of equity shares bearing distinctive No. 4,83,821 to 41,28,001 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1874)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13223.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि., 11, संसद मार्ग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 65,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 72,00,00,003 से 78,50,00,002 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,50,000 (रुपये छः लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1874)/COS(HQ)/Cons. Duty/13223.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd., 11, Sansad Marg, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,50,000 (Rupees six lakh fifty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 65,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 72,00,00,003 to 78,50,00,002 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1894)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13224.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरकेएसवी सिक्यूरिटीज इण्डिया प्रा. लि., 807, नई दिल्ली हाऊस, बाराखम्भा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों

जिनकी पृथक संख्या 3,00,001 से 13,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1894)/COS(HQ)/Cons. Duty/13224.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. RKS V Securities India Pvt. Ltd., 807, New Delhi House, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,000 (Rupees ten thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 3,00,001 to 13,00,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1895)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13225.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आरकेएसवी सिक्यूरिटीज इण्डिया प्रा. लि., 807, नई दिल्ली हाऊस, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,00,001 से 15,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,000 (रुपये दूँ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1895)/COS(HQ)/Cons. Duty/13225.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. RKS V Securities India Pvt. Ltd., 807, New Delhi House, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,000 (Rupees two thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 20,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 13,00,001 to 15,00,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1876)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13226.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कनक रीसीसोर्सेज मैनेजमेन्ट लि., डी-64, डिफेन्स कॉलोनी,

नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,06,08,001 से 1,28,58,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 22,500 (रुपये बाइस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1876)/COS(HQ)/Cons. Duty/13226.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kanak Resources Management Ltd., D-64, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 22,500 (Rupees twenty two thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,25,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1,06,08,001 to 1,28,58,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1886)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13227.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनटीएफ (इण्डिया) प्रा. लि. 4812/24, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,81,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 23,68,121 से 26,49,120 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 28,100 (रुपये अठठाइस हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1886)/COS(HQ)/Cons. Duty/13227.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NTF (India) Pvt. Ltd., 4812/24, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 28,100 (Rupees twenty eight thousand one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,81,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 23,68,121 to 26,49,120 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1911)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13229.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दा विता रेनल केयर इण्डिया प्रा. लि., स्ट्यूट नं. 211, पहाड़पुर बिजनेस सेंटर, 21, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,49,99,720 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 25,09,972 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 25,000 (रुपये पच्चीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1911)/COS(HQ)/Cons. Duty/13229.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Da Vita Renal Care India Pvt. Ltd., Suite No. 211, Paharpur Business Centre, 21 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 25,000 (Rupees twenty five thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,49,99,720 for issue of equity shares bearing distinctive No. 10,001 to 25,09,972 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1856)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13230.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सुपरनोवा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रा. लि., बी-II/212, पंजाबी सौदागर सोसाइटी, मयूर विहार, फेज-I एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00,001 से 0,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1856)/COS(HQ)/Cons. Duty/13230.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Supernova Software Solutions Pvt. Ltd., B-II/212, Punjabi Saudagar Sociaety, Mayur Vihar, Phase-I Extension, New Delhi-110091 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 00,001 to 0,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1875)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13231.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइएल एण्ड एफएस एन्वॉयरमेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज प्रा. लि., डी-64, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 50,94,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,85,46,674 से 2,91,66,673 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,09,400 (रुपये पांच लाख नौ हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1875)/COS(HQ)/Cons. Duty/13231.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IL & FS Environmental Infrastructure and Services Ltd., D-64, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 5,09,400 (Rupees five lakh nine thousand four hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 50,94,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 1,85,46,674 to 2,91,66,673 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1835)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13232.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिल्वराडो इन्फ्राटेक प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1835)/COS(HQ)/Cons. Duty/13232.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Silverado Infratech Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity

shares certificates with distinctive No. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1774)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13236.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बुश फूड्स ओवरसीज प्रा. लि., 505-506, पाँचवी मंजिल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 94,99,99,000 मूल्य के 40,00,000 कम्प्लेसरी, कनवर्टीबल जो कि डिबेन्चर (सीरीज 'ए') के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00,00,001 से 40,00,000 है और 54,99,990 कम्प्लेसरी, कनवर्टीबल जो कि डिबेन्चर (सीरीज 'बी') के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00,00,001 से 54,99,990 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 23,74,998 (रुपये तेइस लाख चौव्वहत्तर हजार नौ सौ अठ्ठानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1774)/COS(HQ)/Cons. Duty/13236.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bush foods Overseas Pvt. Ltd., 505-506, 5th Floor, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 23,74,998 (Rupees Twenty Three Lac Seventy Four Thousand Nine Hundred Ninety Eight) only on the aggregate value of debentures of ₹ 94,99,99,000 for issue of 40,00,000 Series 'A' compulsorily convertible debentures bearing distinctive No. 00,00,001 to 40,00,000 and 54,99,990 series 'B' compulsorily convertible debentures bearing distinctive No. 00,00,001 to 54,99,990 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1912)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13252.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रूचिका इन्जीनियरिंग प्रा. लि., सी-5, महारानी बाग, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,02,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 73,50,001 से 76,85,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 50,250 (रुपये पचास हजार दौ सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1912)/COS(HQ)/Cons. Duty/13252.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ruchika Engineering Pvt. Ltd., C-5, Maharani Bagh, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 50,250 (Rupees fifty thousand two hundred fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,02,50,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 73,50,001 to 76,85,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1836)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13253.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री किन्डल डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1836)/COS(HQ)/Cons. Duty/13253.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kindle Developers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1888)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13254.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रोकमैन ब्रेवरीस लि., के-15, हौज खास, नई दिल्ली-110016 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,69,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,10,001 से 25,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 16,900 (रुपये सोलह हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1888)/COS(HQ)/Cons. Duty/13254.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rockman Breweries Limited, K-15, Hauz Khas, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 16,900 (Rupees Sixteen thousand nine hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,69,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 8,10,001 to 25,00,000 and to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1773)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13255.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र. का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर सेल, बैंक हाऊस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,80,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 18,30,56,001 से 22,30,56,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 48,00,000 (रुपये अड़तालीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1773)/COS(HQ)/Cons. Duty/13255.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab and Sind Bank, H.O. Account & Audit Department, Shares Cell, Bank House, 1st Floor, 21, Rajendra Place, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 48,00,000 (Rupees Forty Eight Lakh) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,80,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 18,30,56,001 to 22,30,56,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1775)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./08/13256.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओरियेण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,39,99,99,767 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 25,05,39,701 से 29,17,61,182 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,74,00,000 (रुपये एक करोड़ चौब्वहतर लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1775)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/13256.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Oriental Bank of Commerce, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,74,00,000 (Rupees One Crore Seventy Four Lac) only on the aggregate value of shares of ₹ 17,39,99,99,767 for equity share certificates with distinctive Nos. 25,05,39,701 to 29,17,61,182 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1872)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13257.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री साइक्लॉप पैकेजिंग सिस्टम्स (इण्डिया) प्रा. लि., प्लॉट नं.-122, राष्ट्रपति भवन कैबिनेट अफेयर्स ग्रुप हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, प्लॉट नं.-03, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 33,02,420 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 31,95,167 से 35,25,408 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,303 (रुपये तीन हजार तीन सौ तीन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1872)/COS(HQ)/Cons. Duty/13257.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cyklop Packaging Systems (India) Pvt. Ltd., Flat No. 122, Rashtrapati Bhawan Cabinet Affairs Gr. Hou. Co. Society, Plot No. 3, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,303 (Rupees three thousand three hundred three) only on the aggregate value of shares of ₹ 33,02,420 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 31,95,167 to 35,25,408 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1806)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13258.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शार्प कॉर्पोरेशन लि., पहली मंजिल, प्लॉट नं.-9, सागर सेन्टर, गुजरावलान टाऊन, दिल्ली-110009 द्वारा जारी किए जाने वाले

₹ 11,63,98,750 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,45,001 से 16,47,750 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,16,399 (रुपये एक लाख सोलह हजार तीन सौ निम्नानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1806)/COS(HQ)/Cons. Duty/13258.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharp Corp Limited, 1st Floor, Plot No. 9, Sagar Centre, Gujrawalan Town, Delhi-110009 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,16,399 (Rupees One Lakh Sixteen Thousand Three Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 11,63,98,750 for equity shares certificates with distinctive Nos. 8,45,001 to 16,47,750 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1877)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13259.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फ्यूजन माइक्रो फाइनेन्स प्रा. लि., 303-304, तीसरी मंजिल, भवन नं.-2, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा, फेज-1, नई दिल्ली-110028 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1877)/COS(HQ)/Cons. Duty/13259.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fusion Micro Finance Pvt. Ltd., 303-304, 3rd Floor, Building No. 2, Community Centre, Naraina, Phase-I, New Delhi-110028 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 50,000 (Rupees fifty thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,00,000 for issue of preference shares bearing distinctive Nos. 1 to 50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1851)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13263.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विकास ग्लोबलवन लि., विकास हाउस, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 78,53,938 से 1,01,03,937 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 72,000 (रुपये बहतर हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1851)/COS(HQ)/Cons. Duty/13263.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vikas Globalone Limited, Vikas House, 34/1, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 72,000 (Rupees Seventy Two Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,20,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 78,53,938 to 1,01,03,937 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1861)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13264.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीएम साउथ इण्डिया होस्पिटैलिटी प्रा. लि., 1, दक्षिणेश्वर, 10, हेले रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 14,21,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,65,10,001 से 3,07,20,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,42,100 (रुपये एक लाख बयालीस हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1861)/COS(HQ)/Cons. Duty/13264.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DM South India Hospitality Pvt. Ltd., 1, Dakshneshwar, 10, Hailey Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,42,100 (Rupees One Lakh Forty Two Thousand One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 14,21,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1,65,10,001 to 3,07,20,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1837)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13265.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क

अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री किन्डल इन्फ्राहाइट्स प्रा. लि०, सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1837)/COS(HQ)/Cons. Duty/13265.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kindle Infraheights Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares certificates with distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1658)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13260.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी इन्फ्रा क्रिएशन्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1658)/COS(HQ)/Cons. Duty/13260.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Infra Creations Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred only) on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1855)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13261.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीसी मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्रा. लि., कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 6,70,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 33,50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 67,000 (रुपये सड़सठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1855)/COS(HQ)/Cons. Duty/13261.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BC Management Services Pvt. Ltd., 17, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 67,000 (Rupees sixty seven thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 6,70,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10,001 to 33,50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1859)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13262.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईटर्नल पावर प्रा. लि., 165-सी, पॉकेट-बी, मयूर विहार-II, दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00,001 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1859)/COS(HQ)/Cons. Duty/13262.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eternal Power Pvt. Ltd., 165-C, Pocket-B, Mayur Vihar-II, Delhi-110091 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 00,001 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1651)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./13266.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी बिल्डकोन प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव,

पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1651)/COS(HQ)/Cons. Duty/13266.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Buildcon Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1786)/मु.स. (मु.स.)/स.शु./13267.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इरोज कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. आठवीं मंजिल, इरोज कॉरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 25,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 2,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,500 (रुपये दो हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1786)/COS(HQ)/Cons. Duty/13267.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eros Constructions Pvt. Ltd., 8th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,500 (Rupees Two Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 25,00,000 for issue of equity shares certificates with distinctive No. 10,001 to 2,60,000 to be issued by the said company.

By Order Of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)

कार्यालय : पंजीयक सहकारी समितियाँ

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जून, 2011

फा. संख्या : 6(14) 85/स्था./सह./पार्ट फाईल/2158.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 के नियम 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री लाल चन्द मीणा और श्री नवीन कटारिया, सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ को उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश एवं नाम से,

वी. के. बैनीवाल, विशेष सचिव (सहकारिता)

**OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE
SOCIETIES**

NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2011

No. F. 6/14/85/Estt./Coop./PF/2158.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) read with Rule 3(1) of DCS Rules, 2007, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Lal Chand Meena and Sh. Naveen Katarya as Assistant Registrar Cooperative Societies, Delhi, to assist the Registrar in discharging his duties and functions under the aforesaid Act and Rules with effect from the date he assumed charge of the said office.

By Order, and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,

V. K. BENIWAL, Spl. Secy. (Coop.)

आयुक्त व्यापार एवं कर विभाग के न्यायालय में

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2011

विषय : वाल पेपर पर मूल्य संवर्धित कर लगाना।

फा. सं. 288/सी डी वैट/2011/15.—अतिरिक्त आयुक्त विधि व न्याय व्यापार एवं कर विभाग ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दु पर दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अंतर्गत स्पष्टीकरण/निर्णय मांगने के लिए आवेदन किया है :—

"क्या वाल पेपर 12.5% की दर से कर योग्य अविनिर्दिष्ट मद है।"

2. उक्त आवेदक ने वाल पेपर पर कर की सही दर अधिसूचित करने के उद्देश्य से आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर) दिल्ली

सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों और उन कम्पनी/व्यापारियों दोनों को दायर किया है, जो इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या कर सकते हैं।

3. आवेदक द्वारा दिनांक 30-08-10 के आवेदक पत्र में कहा गया है कि वर्तमान आन्तरिक सज्जा आदि के लिए प्रयुक्त वाल पेपर से संबंधित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में कोई भी विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। तथापि वर्ष 2005-06 के परिपत्र संख्या 02 दिनांक 26-04-2005 के अनुसार 5% की दर से योग्य की जा रही वस्तुओं की तृतीय अनुसूची की मद संख्या 49 पर सूचीबद्ध पेपर और न्यूज प्रिन्ट की प्रविष्टि है, पेपर के अधीन आने वाली वस्तुएं (अमोनिया पेपर, ब्लाटिंग पेपर, कार्बन पेपर, सेल फोन, पीवीसी कोटिड पेपर, स्टेन्सिल पेपर, वाटरप्रूफ पेपर, आर्टबोर्ड, कार्डबोर्ड, कोरोगेटिड बॉक्स, डुप्लेक्स बोर्ड, पल्प बोर्ड, स्ट्रॉबोर्ड, ट्रिपलेक्स बोर्ड परन्तु फोटोग्राफिक पेपर, वेस्ट पेपर एवं पेपर वेस्ट सम्मिलित नहीं हैं) इसी प्रकार, फाइल कवर, फाइल बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मद संबंधी स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। हालांकि वाल पेपर को पेपर का नाम दिया गया, प्रत्यक्ष रूप से यह भिन्न मद है, जो सामान्य लेखन और पठन पेपर के बराबर नहीं हो सकती, यह मुख्यतः किसी दीवार की बाहरी सतह पर, आंतरिक सज्जा के लिये यह रोगन, कोरी ईट सतह और इसी प्रकार के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिये अविनिर्दिष्ट मद के अंतर्गत वाल पेपर को 12.5% की दर से कर योग्य वर्गीकरण करना उपयुक्त होगा।

4. ब्रिटानिका विश्व शब्दकोश में शब्द पेपर लिखित पत्र और सूचना/जानकारी देने हेतु प्रयुक्त मूलभूत सामग्री के रूप में परिभाषित है, चूंकि दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में शब्द पेपर परिभाषित नहीं किया गया है इसलिये इसका अर्थ, जो इसे साधारणतः प्रचलन में है, दिया जाना है। सामान्य प्रचलन में शब्द या वाणिज्यिक भाव में शब्द पेपर का अर्थ है जोकि मुद्रण लेखन अथवा पैकिंग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। केवल यही तथ्य कि शब्द पेपर किसी विशिष्ट पदार्थ के नामकरण/मूल्यांकन का भाग बनता है, यह मामले का निर्णायक नहीं है, क्या पदार्थ पेपर जैसा कि सामान्यतः समझा गया है दीवारों के अंतिम कवर के रूप में ईट के काम को ढकने के लिए डिस्टेंपर, रोगन लकड़ी या लेमिनेटिड शीटों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है और ये सभी वस्तु 12.5% की दर से कर योग्य है। वाल पेपर एक विशिष्ट उत्पाद और आन्तरिक सज्जाकारों से डिजाइन बनाने और लगाने की अपेक्षा करता है और आंतरिक सज्जाकारों द्वारा निष्पादित किए गए सभी काम सविदा कार्य के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में वाल पेपर एक विशिष्ट उत्पाद है।

5. अतः मेरा अभिमत है कि वाल पेपर एक भिन्न उत्पाद है और दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 49 के अंतर्गत नहीं आता है। वस्तुतः वाल पेपर सामान्य अवर्गीकृत वस्तु है, जो दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 1(30) के अनुसार 12.5% की दर से कर योग्य है। यह निर्णय लिया जाता है और तदनुसार निर्धारित किया जाता है।

IN THE COURT OF COMMISSIONER
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
NOTIFICATIONS

Delhi, the 29th April, 2011

Subject : Levy of VAT on Wall Paper.

No. 288/CDVAT/2011/15.—The Additional Commissioner (L&J), Department of Trade & Taxes has filed an application U/s 85 of the DVAT Act, 2004 seeking clarification/ruling U/s 85 of the DVAT Act, 2004 on the following point :—

“Whether Wall paper is an unspecified item taxable @ 12.5%”.

2. The said applicant has been filed for the purpose of notifying the exact rate of tax on wall paper, both to the authorities subordinate to Commissioner (VAT), Govt. of NCT of Delhi and the entries/dealers who are carrying on or who may undertake such transactions.

3. The applicant in the application dated 30-08-10 has stated that presently there is no specific entry in any of the schedule under DVAT Act pertaining to wall paper used for interior decorations, etc. However, there is entry of paper and newsprint listed at item no. 49 of Third Schedule being commodities taxable @ 5%. Vide circular No. 2 of 2005-06 dtd. 26-04-05 clarification was also issued for item to be covered under ‘paper’ (i.e Ammonia paper, blotting paper, carbon paper, cellophane, PVC coated paper, stencil paper, water proof paper, art boards, card boards, corrugated box, duplex board, pulp boards, straw board, triplex boards and the like, file covers and file boards but excluding Photographic paper, waste paper and paper waste). The wallpaper, though, termed as paper, is apparently a different item, which cannot be equated with normal writing and reading paper. It is mainly used for interior decoration, for exterior surface of a wall as a substitute for paint, exposed brick surface and so on. Therefore, it would be appropriate to classify Wall Paper under unspecified item taxable @ 12.5%.

4. In ‘Encyclopedia Britannica’ ‘Paper’ has been defined as the basic material used for written communication and the dissemination of information. As the word paper has not been defined in the DVAT Act, so the meaning which it has in ordinary parlance has to be given. The word ‘paper’ in the common parlance or in the commercial sense means paper, which is used for printing, writing or packing purposes. The mere fact that the word ‘Paper’ forms part of the denomination of a specialized article is not decisive of the question whether the article is a paper as generally understood. The wall paper is used in place of distemper, paint, wood or laminated sheets to cover the brick work etc. as last covering on walls and all these goods are taxable @ 12.5%. The wall paper is a specialized product and requires designing & fixing from interior designers and all

works executed by interior designers are covered under works contract. In brief, wallpaper is a specialized product.

5. I am, therefore, of the opinion that 'Wall Paper' is distinct product and is not covered under entry no. 49 of Third Schedule appended to the DVAT Act, 2004. In fact, wall paper is a general unclassified goods u/s (1)(e) of the DVAT Act, 2004 attracting tax at 12.5% under the Act. It is held and determined accordingly.

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2011

विषय : विज्ञापन, होर्डिंग, पैनल, डिस्पले बोर्ड, क्योस्क इत्यादि के संबंध में दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अन्तर्गत आधिकारिक निर्णय/व्यवस्था ।

फा. सं./287/सी डी वैट/2011/4.—मूल्य संवर्द्धित कर अधिकारी (दक्षिण जोन) मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अन्तर्गत निम्नलिखित दो बिन्दुओं संबंधी दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 85 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण/आधिकारिक निर्णय/व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र दायर किया है :-

(क) क्या विज्ञापन होर्डिंगों, पैनलों, डिस्पले बोर्ड, क्योस्क इत्यादि अचल संपत्ति/पृथ्वी से जुड़े हुए हैं या नहीं क्या दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 2(ड) के अन्तर्गत यथापरिभाषित वस्तुएं हैं या नहीं ।

(ख) उक्त आवेदन पत्र विज्ञापन, होर्डिंगों, पैनलों, डिस्पले बोर्ड, क्योस्क इत्यादि के संबंध में प्रयोग के अधिकार के अनंतरण संबंधी आयुक्त (मूल्य संवर्द्धित कर), दिल्ली सरकार तथा इस प्रकार के कारोबार करने वाले या कारोबार कर सकने वाली/वाले कंपनियों/डीलरों दोनों की कर देयता संबंधी वास्तविकता कानूनी स्थिति सूचित करने के प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किया गया है ।

2. व्यवसाय की प्रकृति/स्वरूप स्पष्ट करते हुए आवेदक ने अपने दिनांक 04-02-2011 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि इन स्थलों पर स्वामित्व रखने वाली एजेंसियां विज्ञापन करने वाले संविदाकारों को ये स्थल देती हैं और वे आगे अपने विज्ञापन प्रदर्शित कराने की इच्छुक कम्पनियों को किराये पर, जोकि त्रैमासिक, मासिक, अर्धमासिक हो सकता है, के आधार पर आगे अनुमत करती है ।

3. सेल्वेल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारीगणन अल्सीपुर चार्ज (डब्ल्यूबीटीटी) (1993) 089 एसटीसी 0001 के प्रकरण में माननीय पश्चिमी बंगाल कर न्यायाधिकरण के निर्णय के संदर्भ में उल्लेख करना उचित है । उक्त उल्लिखित मामला विधि के अन्तर्गत सुविधा के लिये नीचे इसमें उद्धृत हैं :-

• आवेदक एक विज्ञापन एजेंसी है, जो पट्टे पर भूमि अर्जित करती है और ढाँचे/होर्डिंग खड़ी/खड़े करके विज्ञापन देने हेतु उसे किराए पर देती है ।

• आवेदक भू-स्वामियों को स्थल या परिसर का किराया पट्टे की अवधि में भुगतान करता है और विभिन्न कंपनियों को निश्चित समयावधि के लिये होर्डिंग के प्रयोग का अधिकार पट्टे पर देता है ।

• कंपनी अपने उत्पादों के विज्ञापन हेतु होर्डिंग ढाँचे के प्रयोग का अधिकार रखती है और आवेदन को किराये का भुगतान करती है ।

उक्त उल्लिखित विषय में तीन सदस्यों की पीठ ने अलग-अलग आदेश किये हैं । तथापि न्यायाधिकरण के बहुमत के अनुसार होर्डिंग को माल के रूप में माना गया था और इस प्रकार की होर्डिंग को बिक्री के रूप में माना गया था । (माल के प्रयोग के लिये अधिकार का हस्तान्तरण) । उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कुछेक मार्गदर्शी सिद्धान्त पीठ के सदस्यों द्वारा निर्धारित किए गए थे, जो निम्न प्रकार हैं :-

• हालांकि विधि का सामान्य नियम यह है कि जो भूमि से जुड़ा होता है वह भूमि का भाग बन जाता है, सुस्पष्टता सहित यह कहना बहुत कठिन है, प्रयोजन के लिये पर्याप्त संयोजन किससे बनता है । यह एक प्रश्न है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर है और मुख्यतः दो परिस्थितियों पर, जैसे दर्शाने का भाव, संयोजन की डिग्री और संयोजन की वस्तु अनिवार्य है । संयोजन की डिग्री तथा संयोजन की वस्तु । संयोजन की डिग्री ऐसी हो कि होर्डिंग या अवसंरचनाएं हटाई जा सकेंगी ।

• क्योंकि कई बार संरचनाओं या अन्यों को हटाना सरल होगा, जैसाकि बीएफएसटी अधिनियम में परिभाषित है "वस्तुओं" की अनिवार्य रूप से चल संपत्ति नहीं बन जाती है ।

• सिद्धान्त है कि वस्तुओं की पूर्ति होनी चाहिए और इस प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग की स्वतंत्रता दिए जाने से इसे बिक्री का भाग बनाकर परिपूर्ण की जाये । वर्तमान मामले में होर्डिंग उन ग्राहकों को धारण की जाती है जो संबंधित अवधि में उन्हें रखते हैं और संविदा की शर्तों के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिये स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किए जाने के लिये अनुमत हैं । अतः यह सिद्धान्त पूर्णतः यहां लागू होता है और इसमें बिक्री के सभी घटक विद्यमान हैं ।

• यदि विज्ञापनकर्ताओं को होर्डिंग के प्रयोग करने का एकमात्र अधिकार दिया जाता है और इस अधिकार से छेड़छाड़ करने के लिये पट्टाकर्ता के लिये कोई अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, तो यह धारा 2 (छ) (ii) के अर्थों के अन्तर्गत बिक्री का मामला है ।

• यहां पर यह भी निर्णित/निश्चित किया जाना चाहिए क्या आवेदक होर्डिंग के प्रयोग की अनुमति के साथ-साथ बदले में आवेदक कुछेक सेवार्थ भी प्रदान करता है, होर्डिंग के प्रयोग की अनुमति देने के साथ-साथ कुछेक सेवाएं भी प्रदान करता है, तो इससे यह एक पक्ष की ओर से आवेदक और

दूसरे पक्ष की ओर से उसके ग्राहकों के बीच सविदा की शर्तों से पता लगाया जा सकता है। यदि सविक्षा करने पर पट्टाकर्ता द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए बगैर किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग करने के अधिकार के ऐसे हस्तान्तरण तथा किसी प्रकार की सेवाएं दिए बगैर हो तब केवल इसके लिये वसूल किए गए कर के लिये आहरणीय हो सकते हैं।

4. यहां पर उपासना फाइनेंस लिमिटेड बनाम तामिलनाडु राज्य एवं और अन्य प्रकरण (टीएनटीएसटी)-(1999) 113-एसटीएस/0403 के प्रकरण में माननीय तामिलनाडु न्यायाधिकरण के निर्णय को उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है। पूर्वोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

आवेदक एक विज्ञापनकर्ता एजेंसी है, जो होर्डिंग लगाती है और विज्ञापन लगाने/डिस्पले के लिये उसे किराये पर देती है।

उक्त वर्णित आदेश में माननीय न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया है कि होर्डिंग को "वस्तुएं" माना जाना चाहिए और जब विज्ञापन प्रदर्शन के लिये किराये पर दी जाती है तो यह एक प्रकार की बिक्री है (वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण)।

किसी प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचते समय माननीय न्यायाधिकरण निम्नलिखित सिद्धान्तों पर निर्भर है कि जब होर्डिंग विज्ञापन हेतु किराये पर दी जाए तब बिक्री माना जाएगा।

ऐसा किराया प्रभार जो किसी व्यक्ति द्वारा होर्डिंग प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिये एकत्रित किया जाता है, विज्ञापन पर सेवा कर के अन्तर्गत नहीं आता।

तथ्यों के आधार पर यह पता लगाया जाना है कि क्या होर्डिंग खड़ा करने वाला व्यक्ति होर्डिंग को विज्ञापन दिखाने के लिए केवल किराये पर देता है या वह विज्ञापन का डिजाइन तैयार करने तथा होर्डिंग को पेंटिंग करने का कार्य भी करता है। यहां भी दोनों विनियम स्पष्टतः भिन्न हैं। होर्डिंग के किराया प्रभार हेतु जो व्यक्ति इसे लगवाता है, निश्चित रूप से धारा 3-क के अन्तर्गत कर योग्य है (प्रयोग के अधिकार का हस्तांतरण)। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। होर्डिंग लगाने वाले व्यक्ति के कब्जे का प्रश्न यहां प्रासंगिक नहीं है।

प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण के मामले में, हस्तांतरण का तत्व है कि सम्पत्ति के आर्थिक लाभ पर नियंत्रण को आगे प्रदान किया जाता है। जहां तक वस्तु के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण मानी गई बिक्री है, वस्तु के प्रयोग के लिए दिया गया किराया कर वसूली का निश्चित रूप से आधार बन सकता है।

5. डी वैंट अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) में यथापरिभाषित शब्द "वस्तु" की परिभाषा का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है :-

"(एम) "वस्तु" का अर्थ है सभी प्रकार की चल सम्पत्ति (समाचार पत्र, कार्यवाही योग्य दावे, स्टॉक, शेयर तथा प्रतिभूति को छोड़कर) जिसमें शामिल है :-

- (i) पशुधन, समस्त सामग्रियां, आवश्यक वस्तुएं, घास या भूमि से संबंधित या उसका भाग वस्तुएं जिन्हें बिक्री के लिए रखा जाना है या बिक्री सविदा के अन्तर्गत है, तथा
- (ii) वस्तुओं में सम्पत्ति (चाहे वस्तु के रूप में या अन्य स्वरूप में) जो किसी कार्य सविदा के निष्पादन में पट्टा या किराया खरीद से संबंधित है या जिसका उपयोग चल सम्पत्ति की सजावट, सुधार या मरम्मत में किया जाता है।"

यहां "बिक्री" की परिभाषा का उल्लेख समान रूप से प्रासंगिक है जैसा कि वैंट अधिनियम, 2004 की धारा 2 (1) (जैड सी) में दिया गया है जो इस प्रकार है।

2 (1) (जैड सी) "बिक्री" का अपने समस्त व्याकरणात्मक विविधताओं के साथ तथा सहार्थी अभिव्यक्ति से अर्थ है एक नकद या भावी भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी सम्पत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रत्येक हस्तांतरण (इसमें अनुदान या किसी सरकारी एजेंसी या विभाग द्वारा किया गया भुगतान शामिल नहीं है चाहे केन्द्र सरकार का हो या किसी राज्य सरकार का किसी अन्य को) तथा इसमें शामिल है -

(vi) नकद, भावी भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी उद्देश्य हेतु किसी वस्तु के प्रयोग के अधिकार का हस्तांतरण (किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अन्यथा) :

6. बिक्री तथा खरीद के विनियम की प्रकृति जैसाकि वैंट अधिकारी (विशेष जोन) ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है, को ध्यानपूर्वक समझने के पश्चात्, उपरोक्त डी-वैंट अधिनियम, 2004 के प्रावधानों को देखते हुए, उक्त विषयों तथा उससे संबंधित खरीद/बिक्री विनियम पर पश्चिमी बंगाल तथा तमिलनाडु के माननीय अधिकरणों द्वारा उल्लिखित नियमों को देखते हुए आवेदक द्वारा डी-वैंट अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दायर आवेदन में उठाये गये प्रश्नों पर निर्णय इस प्रकार है :-

- (क) विज्ञापन होर्डिंगों, पैनलों, डिस्पले बोर्ड, क्योस्क इत्यादि अचल सम्पत्ति/धरती से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं या नहीं, जैसाकि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 2(ड) के अन्तर्गत परिभाषित हैं।
- (ख) विज्ञापन, होर्डिंगों, पैनलों, डिस्पले बोर्ड, क्योस्क इत्यादि के संबंध में प्रयोग के अधिकार के अन्तरण के कारण बिक्री के बारे में प्राप्त राजस्व पर मूल्य संवर्द्धित कर दिया जाना है।

यह निर्णय पूर्व प्रभाव से 01-04-2005 से प्रभावी होगा।

जलज श्रीवास्तव, आयुक्त (कर एवं स्थापना)

2156 DG/11-7

Delhi, the 6th April, 2011

Subject : Ruling u/s 85 of DVAT Act, 2004 in respect of advertisement hoardings, panels, display boards, kiosks etc.

F. No. 287/CDVAT/2011/4.—VATO (SZ), Department of Trade & Taxes has filed an application u/s 85 of the DVAT Act, 2004, seeking clarification /ruling u/s 85 of the DVAT Act, 2004 on the following two points :—

- (a) Whether the advertisement hoardings, panels, display boards, kiosks etc., whether attached to immovable property /earth or not, are goods as defined under the section 2(m) of the DVAT Act, 2004 or not.
- (b) If such items are goods, whether the advertisers are liable to pay Value Added Tax on the revenue received on account of deemed sale due to transfer of right to use on these hoarding, panels, display boards, kiosks etc.

The said application has been filed for the purpose of notifying the exact legal position in respect of tax ability on transfer of the right to use in respect of advertisement hoardings, panels, display boards, kiosks etc., both to the authorities subordinate to Commissioner (VAT), Government of NCT of Delhi and the entities /dealers who are carrying on or who may undertake such transactions.

2. While explaining the nature of transactions the applicant in his application dated 04-02-2011 has stated that the agencies who own these sites give these sites to the advertising contractors and they further allow the companies who intent to display their advertisement on rental basis which may be quarterly, fortnightly, monthly etc.

3. It is worthwhile to refer to decision of the Hon'ble West Bengal Tax Tribunal in the case of Selvel Advertising Private Limited Vs Commercial Tax Officers, Alipore Charge (WBTT) -[1993] 089 STC 0001. Facts of the above mentioned case law are produced herein below for the sake of convenience :—

- Applicant is an advertising agency, which acquires land on lease and then erects structures/hoarding and let out the same for advertising on payment of rent.
- Applicant pays rent for site or premises for the period of lease to the landlords and leases out the right to use the hoarding to different companies for a certain period of time.
- Company possesses the right to use the hoarding structures for advertising their products and pays rent to the applicant. In the above-mentioned matter, the Bench comprising three Members has delivered separate orders. However, as per the majority view of the Tribunal, hoardings were to

be treated as goods, and letting of such hoarding had to be deemed as a sale (Transfer of Right to Use goods). While arriving at the above conclusion, certain guiding principles were laid down by Members of the Bench, which are as follows :—

- Though the general maxim of the law is that what is annexed to the land becomes part of the land, it is very difficult to say with precision what constitutes an annexation sufficient for the purpose. It is a question, which must depend on the circumstance of each case and mainly on two circumstances, as indicating the intention, the degree of annexation and the object of annexation. The degree of annexation is such that the hoarding or structures can be removed.
- Simply because the structures will be removed sometimes or the other, it does not necessarily become movable property of "goods" as defined in the BFST Act.
- The principle that there should be delivery of the goods and there should be freedom to use such goods has to be fulfilled to constitute sale. In the instant case the hoarding are let out to the customers, who possess them for the relevant period, and are allowed to be freely used for the purpose of displaying advertisement as per terms of the contract. This principle is, therefore, squarely applicable here and all the ingredients of sale are present.
- If the advertisers are granted an exclusive right to use the hoarding and if no right is reserved to the lessor for interfering with that right, it is case of sale within the meaning of section 2(g) (ii).
- Here also, it should be determined whether the applicant also renders certain services together with allowing the use of the hoarding, this can be ascertained from the terms of the contract between the applicant on the one hand and its customers on the other. If it is upon scrutiny that there is such a transfer of right to use any "goods" without any scope for interference by the lessor and without any services rendered, only then charges recovered for the same may be exigible to tax.

4. It is relevant here to mention to the decision of the Hon'ble Tribunal of Tamil Nadu in the case of Upasana Finance Ltd. Vs. State of Tamil Nadu and Another (and other cases)(TNTST)—[1999] 113 STC 0403. Brief facts of the aforementioned case are as follow :—

- * Applicant is an advertising agency, which erects hoarding and lets the same on hire for display of advertisement.

- * Hon'ble Tribunal in the above cited order, held that the hoarding should be treated as 'goods' and when let out for display of advertisement, there is a deemed sale (transfer of right to use goods).
- * Hon'ble Tribunal relied upon the following principle while arriving on the conclusion that the hoarding when let out for advertising would be deemed as sale;
- * The hire charges, which a person collects for the transfer of right to use hoarding, are not subject to a Services Tax on advertisement.
- * On facts it has to be found whether a person who erects the hoardings only lets on hire the hoardings for display of advertisement or whether he also undertakes the job of designing the advertisement and painting the hoardings. Even here the two transactions are clearly separable. For hire charges of the hoardings, the person who erects is certainly liable to be taxed under section 3-A (transfer of right to use). This will depend upon facts of each case. The question of possession by the person who erects the hoardings is of no relevance.
- * In the case of transfer of right to use, the essence of transfer is the passage of control over the economic benefit of the property. In as much as the transfer of right to use the goods is a deemed sale, the rent paid for the use of goods can certainly be the basis for the levy of tax.

5. It is also worthwhile to refer to the definition of the term "goods" as defined in section 2(1)(m) of the DVAT Act, which reads as under :—

- "(m) "goods" means every kind of moveable property (other than newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities) and includes —
- (i) livestock, all materials, commodities, grass or things attached to or forming part of the earth which are agreed to be severed before sale or under a contract of sale, and

- (ii) property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, lease or hire-purchase or those to be used in the fitting out, improvement or repair of movable property".

Here, it is equally relevant to refer to the definition of the "sale" as contained in section 2(1)(zc) of DVAT Act, 2004, which reads as follows:

2(1)(zc) "sale" with its grammatical variations and cognate expression means any transfer of property in goods by one person to another for cash or for deferred payment or for other valuable consideration (not including a grant or subvention payment made by one government agency or department, whether of the Central Government or of any state government, to another) and includes —

vi. transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration ;

6. After careful examination of the nature of the transactions of sale and purchase as explained in the application filed by the VATO (Special zone), keeping in view the provisions of DVAT Act, 2004 referred to above, the law laid down by the Hon'ble Tribunals of West Bengal and Tamil Nadu on the said matter and the sale/purchase transactions related thereto, the ruling on the questions raised by the applicant in his application filed u/s 85 of the DVAT Act, 2004 is given as follows :—

- (a) The advertisement hoardings, panels, display boards, kiosks etc., whether attached to immovable property /earth or not, are goods as defined under section 2(m) of the DVAT Act, 2004.
- (b) The advertisers are liable to pay Value Added Tax on the revenue received on account of deemed sale due to transfer of right to use of these hoarding, panels, display boards, kiosks etc.

This ruling shall come into force from retrospective effect i.e. with effect from 1-04-2005.

JALAJ SHRIVASTAVA, Commissioner (T&T)